

जैवविविधिता अधनियम 2002

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार ज़लि में [बाओबाब वृक्षों](#) की अनाधिकृत कटाई के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को [जैवविविधिता अधनियम 2002](#) (Biodiversity Act 2002) के नियमों को लागू करने का आदेश दिया।

प्रमुख बाढ़ि

- न्यायालय के एमकिस कर्यार्थी (नष्टिपक्ष सलाहकार) द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मध्य प्रदेश में [जैवविविधिता अधनियम 2002](#) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बाओबाब वृक्षों की कथति अवैध कटाई पर मीडिया रपोर्टों का सवाल: संज्ञान लेने और मामले पर [जनहति याचिका \(Public Interest Litigation- PIL\)](#) के रूप में सुनवाई शुरू करने के बाद राज्य सरकार द्वारा समतिका गठन किया गया था।
- समति की रपोर्ट पर गौवचियां करने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर समति की सफिराशों के आधार पर निरिण्य लेने को कहा।

जैवकि विविधिता अधनियम, 2002

- यह अधनियम वर्ष 2002 में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य जैवकि संसाधनों का संरक्षण, इसके सतत् उपयोग का प्रबंधन तथा स्थानीय समुदायों के साथ जैवकि संसाधनों के उपयोग और ज्ञान से उत्पन्न लाभों का उचति एवं न्यायसंगत साझाकरण है।



बाओबाब वृक्ष

- वृक्षों के प्रकार: बाओबाब पर्णपाती वृक्ष हैं जिनकी ऊँचाई 5 से 20 मीटर तक होती है।
 - पर्णपाती वन मुख्य रूप से चौड़ी पत्तयों वाले वृक्षों से युक्त वनस्पति है जो कसी मौसम में अपनी सारी पत्तयाँ गिरा देते हैं।
- अफ्रीकी बाओबाब (*Adansonia digitata*) बाओबाब की नीं परजातयों में से एक है और मुख्य भूमि अफ्रीका का स्थानकि है। ये अफ्रीकी सवाना में भी पाए जाते हैं।
 - अफ्रीकी सवाना पारस्थितिकी तंत्र एक उष्णकट्टिधीय घासभूमि है, जहाँ वर्ष भर तापमान ग्रम रहता है तथा ग्रमयों में सबसे अधिक मौसमी वर्षा होती है।
- ट्री ऑफ लाइफ: चूँकि अफ्रीकी बाओबाब एक सक्यूलेंट्स है, जो बरसात के मौसम के दौरान यह अपने वशिल तने में जल को अवशोषित और संग्रहीत करता है, जिससे यह शुष्क मौसम में पोषक तत्त्वों से भरपूर फल देने में सक्षम होता है जबकि चारों ओर सूखा और शुष्क मौसम होता है।